राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामसहाय बनाम शम्भू सिंह

तारीख हुक्म	1023/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो |	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम नागल सिरत में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 पारित करते हुए तहसीलदार आमेर को ग्राम राजावास तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी खाता संख्या नया 187 पुराना 185 में स्थित खसरा नम्बर 518 रकबा 0.10 हैक्टेयर पर उभयपक्षों की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादग्रस्त आराजी का उभयपक्षों की उपस्थिति में मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है | सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रियां है जिसे तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 21/06/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |	